

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प0 11(1)मंमं/99

जयपुर, दिनांक: 11/9/12

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 6.1.2000 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों में पदस्थापित सदस्यगण को देय सुविधाओं में संशोधन करते हुए तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से राजकीय सुविधायें दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	मद	देय सुविधाएँ
1.	राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु (क) बैठक में उपस्थित फीस (प्रत्येक बैठक हेतु) (ख) कन्वेन्स अलाउन्स (स्थानीय)	1000/-प्रति बैठक ( प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।) 150/- प्रति बैठक ( प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।)
	(ग) यात्रा भत्ता	"ए " श्रेणी के अधिकारियों को देय दर के अनुसार ( प्रत्येक माह में यात्रा-भत्ता की सीमा 5 रहेगी ।)
2.	टेलीफोन काल्स की सीमा	1800 काल्स प्रति दो माह तक की सीमा तक टेलीफोन बिल की राशि का पुनर्भरण देय

यह आज्ञा वित्त (नियम) की आई.डी. संख्या 101202895 दिनांक 07.09.2012 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गौतम मुखर्जी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राज., जयपुर ।
2. समस्त संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त शासन सचिवालय ।
5. सचिव, मुख्यमंत्री ।
6. निजी सचिव, अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण विभिन्न आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
9. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग ।
10. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
11. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3 एवं 5) विभाग ।
12. कन्ट्रोलर, राज. स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
13. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव